

ब्रह्मावर्त पीजी कॉलेज मंथना कानपुर राजनीति विज्ञान विभाग

द्वारा

भारत में राजनीतिक प्रक्रिया

Political Process in India

BA द्वितीय वर्ष

(सेमेस्टर 3)

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर

के

राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रमानुसार

परीक्षोपयोगी प्रश्न-उत्तर सहित

2026



छात्र/छात्राओंके विशेष हित
को ध्यान में रखतेहुए तैयार कर प्रेषित
द्वारा
राजनीति विज्ञान विभाग

Third Semester
Political Science
Political Process India

यहाँ स्नातक (B.A. Semester III) स्तर के मानक के अनुसार पाठ्यक्रम पर आधारित प्रथम **30** लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। प्रत्येक उत्तर को मुख्य बिंदुओं, संवैधानिक प्रावधानों और सटीक अवधारणाओं के साथ न्यूनतम 125 शब्दों की सीमा में तैयार किया गया है:

1. उत्तर-औपनिवेशिक (Post-Colonial) भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

उत्तर-औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण का तात्पर्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बाद एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना से है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद, भारत ने पश्चिमी देशों के विपरीत, आर्थिक पिछड़ेपन और व्यापक निरक्षरता के बावजूद एक ही बार में वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) को लागू करके एक ऐतिहासिक प्रयोग किया।

यह प्रक्रिया केवल चुनावों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक काल की सामंती, जातिगत और असमान सामाजिक संरचना को एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज में बदलना था। 1950 में संविधान लागू होने के साथ, विभिन्न भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिला। लोकतांत्रिकरण ने हाशिए पर स्थित समुदायों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया और सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की। राजनी कोठारी जैसे विचारकों के अनुसार, भारत में लोकतांत्रिकरण ने राजनीतिक रूप से समाज को संगठित किया, जिससे शासन में जन-स्वीकृति और समावेशिता को बल मिला।

2. लोकतंत्र के सामाजिक और आर्थिक आयामों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

लोकतंत्र केवल चुनाव कराने और सरकार चुनने की राजनीतिक प्रक्रिया मात्र नहीं है; इसके सामाजिक और आर्थिक आयाम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं:

सामाजिक लोकतंत्र: इसका अर्थ समाज में जाति, लिंग, धर्म या जन्म के आधार पर व्याप्त असमानताओं और भेदभाव का अंत करना है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो, जिसका अर्थ स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना है।

आर्थिक लोकतंत्र: इसका तात्पर्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रण कुछ ही हाथों में न हो और समाज के प्रत्येक नागरिक को आजीविका के न्यूनतम साधन प्राप्त हों।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14-18) और नीति निर्देशक तत्व (विशेषकर अनुच्छेद 39) इन

आयामों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाती है।

3. स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक बताइए।

उत्तर:

स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति के विकास और दिशा को निर्धारित करने में अनेक कारकों की भूमिका रही है, जिनमें से दो मुख्य कारक निम्नलिखित हैं:

1. एक-दल प्रभुत्व प्रणाली (Congress System): स्वतंत्रता के बाद शुरुआती दो दशकों (1947-1967) तक भारतीय राजनीति पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकाधिकार रहा। राजनीतिशास्त्री रजनी कोठारी ने इसे 'कांग्रेस सिस्टम' कहा। इस प्रणाली में कांग्रेस एक व्यापक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन (Social and Ideological Coalition) के रूप में कार्य करती थी, जिसने स्वतंत्रता के बाद देश में राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में योगदान दिया।

2. जाति और पहचान की राजनीति: 1960 के दशक के उत्तरार्ध और विशेष रूप से 1990 के दशक (मंडल आयोग के बाद) में जाति भारतीय राजनीति का सबसे निर्णायक कारक बन कर उभरी। इसने चुनावी लामबंदी, उम्मीदवार चयन और सत्ता के बंटवारे को गहराई से प्रभावित किया और भारतीय राजनीति को बहुदलीय एवं अधिक समावेशी दिशा दी।

4. 'अर्द्ध-संघवाद' (Quasi-Federalism) से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

'अर्द्ध-संघवाद' (Quasi-Federalism) का प्रयोग भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की उस प्रकृति को दर्शाने के लिए किया जाता

है जो ढाँचे में संघात्मक(Federal) और आत्मा में एकात्मक (Unitary)का मिश्रण है। प्रसिद्ध संविधानविद के.सी. व्हीयर (K.C. Wheare) ने भारतीय संविधान को 'अर्द्ध-संघीय' कहा था।

भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची) किया गया है, जो एक संघीय व्यवस्था का लक्षण है। हालाँकि, संकटकाल (अनुच्छेद 352, 356, 360), राज्यपाल की नियुक्ति, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका और वित्तीय मामलों में केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता जैसे प्रावधान केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तिशाली बनाते हैं। जब केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सामान्य रहते हैं तो यह संघीय रूप में कार्य करता है, लेकिन आपातकाल या विशिष्ट परिस्थितियों में यह एकात्मक रूप ले लेता है। इसलिए, भारत को एक पूर्ण संघ न कहकर 'अर्द्ध-संघीय' राज्य माना जाता है।

5. भारत में गठबंधन की राजनीति (Coalition Politics) के उद्भव के दो प्रमुख कारण लिखिए।

उत्तर:

भारत में 1989 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ। इसके उद्भव के दो मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

1. एक-दल प्रभुत्व का अंत और क्षेत्रीय दलों का उभार: 1980 के दशक के अंत तक कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राजनीतिक वर्चस्व समाप्त हो गया। इसके साथ ही, विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मजबूत क्षेत्रीय दलों (जैसे- समाजवादी पार्टी, राजद, टीडीपी, डीएमके) का उदय हुआ। किसी भी एक राष्ट्रीय दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण केंद्र में सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों का सहयोग अनिवार्य हो गया।

2. सामाजिक और वैचारिक विखंडन: मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने और मंदिर-मजिदों से जुड़ी पहचान की राजनीति के कारण मतदाता वर्ग में सामाजिक और वैचारिक ध्रुवीकरण हुआ। इस सामाजिक विखंडन ने विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के हितों को साधने वाले नए राजनीतिक दलों को जन्म दिया, जिससे गठबंधन सरकारें अपरिहार्य हो गईं।

6. बहुदलीय प्रणाली (Multi-party System) से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

बहुदलीय प्रणाली एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें दो से अधिक राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं और उनके पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष (गठबंधन के माध्यम से) रूप से सरकारी सत्ता हासिल करने का वास्तविक अवसर होता है।

भारत बहुदलीय प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ की अत्यधिक सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता के कारण बहुदलीय प्रणाली स्वाभाविक रूप से विकसित हुई है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह समाज के विभिन्न वर्गों, अल्पसंख्यकों और क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय पटल पर प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। हालाँकि, इसके कुछ नुकसान भी हैं; जैसे कि बार-बार अस्थिर सरकारें बनना, नीतिगत निर्णयों में देरी (Policy Paralysis) होना और अवसरवादी गठबंधनों का निर्माण होना। इसके बावजूद, भारत की विशाल विविधता को देखते हुए बहुदलीय प्रणाली ही भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे उपयुक्त और समावेशी मॉडल साबित हुई है।

7. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था?

उत्तर:

1992 में पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में ग्रामीण स्तर पर 'त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था' को संवैधानिक दर्जा देकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralization) को धरातल पर उतारना था। इस संशोधन द्वारा संविधान में 'भाग 9' और '11वीं अनुसूची' जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों को 29 कार्य सौंपे गए। इसका उद्देश्य सत्ता का हस्तांतरण आम जनता के हाथों में करना था, ताकि वे अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में ग्राम सभा का गठन, हर 5 वर्ष में नियमित चुनाव, अनुसूचित जाति/जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% सीटों का आरक्षण शामिल था। इसके माध्यम से विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में स्थानीय ग्रामीण समुदाय की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित की गई।

8. 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शहरी स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है?

उत्तर:

1992 में पारित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (जो शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत से संबंधित है) के अंतर्गत शहरी स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करने का संवैधानिक प्रावधान किया गया है।

यह आरक्षण प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों के साथ-साथ अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी लागू होता है। इसके अलावा, विभिन्न नगर निकायों में अध्यक्ष/मेयर के पदों पर भी महिलाओं के लिए इसी अनुपात में चक्रानुक्रम (Rotation) से आरक्षण की व्यवस्था है। भारत के कई राज्यों (जैसे बिहार, मध्य प्रदेश,

उत्तराखंड आदि) ने इस संवैधानिक न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। इस प्रावधान ने शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण और नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी को अत्यधिक बढ़ावा दिया है।

9. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralization) की परिभाषा लिखिए।

उत्तर:

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता, शक्तियों और निर्णय लेने के अधिकारों का उच्च स्तर (केंद्र या राज्य सरकार) से निचले स्तरों (स्थानीय स्वशासन निकायों जैसे पंचायत और नगरपालिका) की ओर हस्तांतरण करना।

इसका मूल दर्शन "जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए" शासन को केवल संसद तक सीमित न रखकर गाँव और शहर के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। इसमें स्थानीय लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान, योजनाएं बनाने और संसाधनों के प्रबंधन का सीधा अधिकार दिया जाता है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी, जिसे 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधनों द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह व्यवस्था नागरिकों में नागरिक चेतना जगाती है और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती है।

10. दबाव समूह (Pressure Groups) क्या हैं? राजनीतिक दलों और दबाव समूहों में एक अंतर बताइए।

उत्तर:

दबाव समूह उन लोगों का एक संगठित समूह होता है जिनके सामान्य हित (जैसे व्यापारी, किसान, मजदूर, छात्र आदि) एक जैसे होते हैं। ये समूह प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ते और न ही सरकारी

सत्ता पर कब्ज़ा करने का प्रयास करते हैं, बल्कि वे सरकार पर नीतियों और निर्णयों को अपने सदस्यों के पक्ष में प्रभावित करने के लिए 'दबाव' डालते हैं। (उदा. FICCI, BKU, AITUC)।

राजनीतिक दल और दबाव समूह में मुख्य अंतर:

राजनीतिक दलों का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़कर सरकारी सत्ता प्राप्त करना होता है, जबकि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते; वे केवल सत्ता में बैठे लोगों को अपनी मांगों और हितों के अनुसार नीतियां बनाने के लिए प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण व्यापक और राष्ट्रीय होता है, जबकि दबाव समूहों का ध्यान केवल अपने विशेष समूह के हितों तक सीमित रहता है।

11. मतदान व्यवहार (Voting Behavior) को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

मतदान व्यवहार से तात्पर्य उन मनोवृत्तियों, प्राथमिकताओं और निर्णयों से है जो एक मतदाता चुनाव के दौरान किसी विशेष प्रत्याशी या दल को वोट देते समय अपनाता है। भारत में इसे प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक निम्नलिखित हैं:

1. जाति (Caste): भारतीय राजनीति में जाति एक अत्यंत प्रभावकारी कारक है। राजनीतिक दल अक्सर उम्मीदवारों का चयन और चुनाव प्रचार जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर करते हैं। मतदाता भी कई बार विकास के मुद्दों के बजाय अपनी जाति के उम्मीदवार या अपनी जाति का समर्थन करने वाले दल के पक्ष में मतदान करते हैं।

2. धर्म और सांप्रदायिक पहचान: धार्मिक भावनाएं और पहचान की राजनीति भी मतदान व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती हैं। राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक मुद्दों का उभार या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कई बार मतदाताओं के चुनाव निर्णय को सीधे तौर पर निर्धारित करता है।

12. भारतीय राजनीति में 'जाति की भूमिका' (Cast & Politics) को संक्षेप में समझाइए।

उत्तर:

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका एक जटिल और द्वि-पक्षीय प्रक्रिया है। प्रख्यात समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास और रजनी कोठारी के अनुसार, भारत में केवल राजनीति का जातीयकरण नहीं हुआ है, बल्कि "जाति का राजनीतिकरण" भी हुआ है।

एक तरफ, जातिगत संरचना का प्रयोग राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक बनाने, टिकटों के बंटवारे और कैबिनेट निर्माण में किया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान जातिगत निष्ठाओं को भुनाया जाता है। दूसरी तरफ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने निचली और पिछड़ी जातियों को एक मंच दिया है। लोकतंत्र के माध्यम से इन जातियों ने अपनी संख्या बल का प्रयोग करके राजनीतिक सत्ता हासिल की और सामाजिक-आर्थिक समानता की मांग की। इस प्रकार, जाति जहाँ एक ओर सांप्रदायिकता या संकीर्णता को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी ओर इसने भारत में हाशिए के वर्गों के राजनीतिक सशक्तीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

13. भारत में चुनाव सुधारों (Electoral Reforms) की आवश्यकता क्यों है?

उत्तर:

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसकी चुनाव प्रक्रिया में कई ऐसी कमियाँ और बुराइयाँ घर कर गई हैं जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए खतरा हैं। इसीलिए चुनाव सुधारों की तत्काल आवश्यकता है:

धन बल (Money Power) का अत्यधिक प्रयोग: चुनावों में बेहिसाब पैसा खर्च किया जाता है, जिससे आम नागरिक चुनाव लड़ने से वंचित रह जाते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

अपराधीकरण (Criminalization of Politics): राजनीति में दागी और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

जातिवाद, धर्म और बाहुबल का प्रयोग: मतदान को प्रभावित करने के लिए सांप्रदायिक और जातिगत घृणा फैलाई जाती है।

गैर-पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग: राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता की कमी।

इन समस्याओं को दूर करने और जन-विश्वास बनाए रखने के लिए चुनाव सुधार आवश्यक हैं।

14. अलगाववाद (Secessionism) और समायोजन (Accommodation) की राजनीति से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

अलगाववाद की राजनीति: इसका अर्थ है किसी राज्य या क्षेत्र द्वारा मुख्य राष्ट्र-राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनाने की मांग करना या हिंसक/अहिंसक आंदोलन चलाना (जैसे- अतीत में कश्मीर, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों या पंजाब में खालिस्तान आंदोलन)। यह अक्सर तीव्र असंतोष, उपेक्षा और अलग पहचान के आधार पर जन्म लेता है।

समायोजन की राजनीति: यह एक ऐसी लोकतांत्रिक रणनीति है जिसके माध्यम से राज्य (सरकार) विभिन्न अलगाववादी या असंतुष्ट भाषाई, जातीय और क्षेत्रीय समूहों की जायज मांगों को बातचीत, स्वायत्तता (Autonomy), संवैधानिक संशोधनों और विशेष दर्जे के माध्यम से राष्ट्रीय धारा में शामिल करती है। भारत ने नागालैंड, मिजोरम और पूर्वोत्तर में स्वायत्त परिषदों का गठन करके तथा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करके 'समायोजन की राजनीति' का सफल प्रयोग किया है।

15. धर्मनिरपेक्षता (Secularism) पर भारतीय दृष्टिकोण की दो प्रमुख विशेषताएँ बताइए।

उत्तर:

भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। जहाँ पश्चिमी मॉडल राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव (Strict Separation) की बात करता है, वहीं भारतीय दृष्टिकोण निम्नलिखित दो मुख्य विशेषताओं पर आधारित है:

1. सर्वधर्म समभाव (Equal Respect for All Religions): भारतीय राज्य किसी भी एक धर्म को 'राज्य धर्म' (State Religion) घोषित नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और समान आदर का भाव रखता है। राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं।

2. सिद्धांतवादी दूरी और सकारात्मक हस्तक्षेप (Principled Distance & Positive Intervention): भारतीय राज्य धर्म से पूरी तरह आँखें नहीं मूँदता। यदि किसी धार्मिक प्रथा में सामाजिक बुराई या मानव अधिकारों का हनन होता है (जैसे छुआछूत, बाल विवाह, या तीन तलाक), तो राज्य उसमें सुधार के लिए सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। साथ ही, यह अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थाएँ चलाने का अधिकार (अनुच्छेद 29-30) भी देता है।

16. भारत में धर्म और राजनीति के अंतर्संबंध पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

उत्तर:

भारत में धर्म और राजनीति का अंतर्संबंध बहुत गहरा और बहुआयामी रहा है। यद्यपि भारतीय संविधान भारत को एक 'धर्मनिरपेक्ष राज्य' घोषित करता है, लेकिन व्यावहारिक राजनीति में धर्म एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है।

राजनीतिक दल अक्सर अपने निहित स्वार्थों और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए धार्मिक पहचान और भावनाओं का सहारा लेते हैं। इसे "सांप्रदायिक राजनीति" कहा जाता है। चुनावी अभियानों में धार्मिक प्रतीकों, मुद्दों (जैसे मंदिर-मस्जिद विवाद, समान नागरिक संहिता आदि) का उपयोग मतदाताओं को लामबंद करने के लिए किया जाता है। हालाँकि, इसका एक सकारात्मक पक्ष यह भी रहा है कि धर्म-आधारित नैतिक मूल्यों ने कई बार सामाजिक न्याय और मानवाधिकार आंदोलनों को प्रेरित भी किया है। फिर भी, धर्म और राजनीति का यह सम्मिश्रण कई बार सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुँचाता है और मुख्यधारा के विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाता है।

17. 'सकारात्मक कार्रवाई' (Affirmative Action) क्या है?

उत्तर:

सकारात्मक कार्रवाई सरकार या प्रशासन द्वारा अपनाई गई उन नीतियों और उपायों का समुच्चय है, जिनका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित, शोषित और भेदभाव का शिकार रहे सामाजिक समूहों (जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाएँ) को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष अवसर और रियायतें प्रदान करना है।

इसका मूल उद्देश्य केवल औपचारिक समानता (Formal Equality) स्थापित करना नहीं है, बल्कि 'अवसरों की वास्तविक समानता' (Substantive Equality) सुनिश्चित करना है। भारत में आरक्षण व्यवस्था (सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और विधायिका में) सकारात्मक कार्रवाई का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अतिरिक्त, छात्रवृत्तियाँ, शुल्क में छूट, और विशेष कल्याणकारी योजनाएँ भी सकारात्मक कार्रवाई के ही रूप हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य को ऐसी नीतियाँ बनाने का अधिकार देते हैं।

18. भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए लागू की गई किन्हीं दो सकारात्मक नीतियों के नाम लिखिए।

उत्तर:

भारत में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए कई सकारात्मक नीतियां और कानून लागू किए गए हैं, जिनमें से दो प्रमुख निम्नलिखित हैं:

1. शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों में 33% आरक्षण (73वां व 74वां संविधान संशोधन): इन ऐतिहासिक संशोधनों के माध्यम से पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गईं। इसके अतिरिक्त हाल ही में पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (106वां संविधान संशोधन) के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

2. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना: यह नीति देश में घटते लिंगानुपात (Child Sex Ratio) को सुधारने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लड़कियों की शिक्षा व सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख सकारात्मक कार्यवाही नीति है।

19. राष्ट्र निर्माण (Nation Building) की प्रक्रिया में प्रमुख चुनौतियाँ कौन-कौन सी हैं?

उत्तर:

स्वतंत्रता के बाद से ही भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के समक्ष 'राष्ट्र निर्माण' (एक एकीकृत राष्ट्रीय पहचान का निर्माण) की प्रक्रिया में कई आंतरिक और बाह्य चुनौतियाँ रही हैं। प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

क्षेत्रीयतावाद और अलगाववाद: विविध भाषा और संस्कृति के आधार पर पृथक राज्यों या पृथक देश की मांग।

सांप्रदायिकता: धार्मिक पहचान के आधार पर समुदायों के बीच तनाव और हिंसा।

जातिवाद: समाज का विभाजन और सामाजिक समरसता में बाधा।

आर्थिक विषमता और गरीबी: अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई तथा क्षेत्रीय असंतुलन।

निर्जातीय (Ethnic) संघर्ष: पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न जनजातीय समूहों के बीच आपसी टकराव।

राष्ट्र निर्माण इन सभी संकीर्ण निष्ठाओं से ऊपर उठकर एक साझा 'भारतीय' पहचान स्थापित करने की एक निरंतर प्रक्रिया है।

20. क्षेत्रीयतावाद (Regionalism) से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

क्षेत्रीयतावाद एक ऐसी विचारधारा या भावना है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के लोग अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास और भूगोल के आधार पर राष्ट्र की तुलना में अपने विशेष क्षेत्र के प्रति अधिक निष्ठा और लगाव रखते हैं।

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के कई रूप देखने को मिलते हैं; जैसे- अलग राज्य की मांग (उदा. तेलंगाना, बोडोलैंड), अधिक क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग, या "भूमि के पुत्र" (Sons of the Soil) का सिद्धांत, जिसके तहत बाहर से आए लोगों का विरोध किया जाता है। क्षेत्रीयतावाद का मुख्य कारण आर्थिक पिछड़ापन, संसाधनों का असमान वितरण और केंद्र सरकार द्वारा किसी क्षेत्र की उपेक्षा की भावना होती है। यद्यपि सीमित मात्रा में यह अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए स्वाभाविक है, लेकिन अत्यधिक क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीय अखंडता और एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है।

21. भाषावाद (Linguism) भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता है?

उत्तर:

भाषावाद से तात्पर्य अपनी भाषा के प्रति अत्यधिक प्रेम और अन्य भाषाओं के प्रति उपेक्षा या विरोध का भाव है। स्वतंत्रता के बाद से ही भाषा भारतीय राजनीति में एक अत्यंत संवेदनशील और निर्णायक मुद्दा रही है:

राज्य पुनर्गठन (1956): 1950 के दशक में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग (उदा. आंध्र प्रदेश का गठन) ने भारत का राजनीतिक मानचित्र बदल दिया।

हिंदी बनाम गैर-हिंदी विवाद: दक्षिण भारतीय राज्यों (विशेषकर तमिलनाडु) में राष्ट्रभाषा या आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को थोपे जाने का कड़ा विरोध हुआ, जिसके कारण 'द्वि-भाषा सूत्र' और अंग्रेजी को सह-राजभाषा के रूप में जारी रखने की नीति अपनायी पड़ी।

क्षेत्रीय दलों का गठन: भाषाई अस्मिता ने कई क्षेत्रीय दलों (जैसे DMK, AIADMK) को जन्म दिया।

हालांकि, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने भारत की विविधता को समायोजित करके लोकतंत्र को मजबूत भी किया है।

22. बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता (Majority and Minority Communalism) में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

सांप्रदायिकता वह विचारधारा है जो अपने धार्मिक समूह के हितों को अन्य धार्मिक समूहों के हितों के विरोधी मानती है। इसके दो रूप हैं:

बहुसंख्यक सांप्रदायिकता: यह बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय (जैसे भारत में कुछ हिंदूवादी चरमपंथी समूह) में पाई जाती है। यह अक्सर राष्ट्रवाद के नाम पर अपना दावा पेश करती है और यह

मानती है कि बहुसंख्यक संस्कृति ही राष्ट्र की मुख्य पहचान होनी चाहिए। यह अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय मुख्यधारा के विरोधी के रूप में देखती है।

अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता: यह अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों (जैसे मुस्लिम, सिख आदि) में पाई जाती है। यह अपने अस्तित्व, पहचान, धर्म और अधिकारों के छिन जाने के 'भय' से पैदा होती है। इसके परिणामस्वरूप अक्सर पृथक्तावाद (Ghettoization) या अलगाववादी मांगें जन्म लेती हैं।

विपिन चंद्र जैसे इतिहासकारों के अनुसार, दोनों ही प्रकार की सांप्रदायिकताएं एक-दूसरे को पोषित करती हैं और लोकतंत्र के लिए समान रूप से घातक हैं।

23. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार (Corruption) के मुख्य कारण क्या हैं?

उत्तर:

भ्रष्टाचार भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की एक गंभीर बीमारी है, जिसने लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर किया है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

चुनावों में अत्यधिक धन बल का प्रयोग: चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को भारी धनराशि की आवश्यकता होती है, जिसे पूरा करने के लिए वे कॉर्पोरेट घरानों और अपराधियों से सांठगांठ करते हैं, जो बाद में नीतिगत भ्रष्टाचार (Policy Corruption) का कारण बनता है।

पारदर्शिता का अभाव और लालफीताशाही: सरकारी कामकाज और नौकरशाही में जटिल नियम, विशेषाधिकार और पारदर्शिता की कमी रिश्वतखोरी को जन्म देती है।

कमजोर जवाबदेही और राजनीतिक संरक्षण: भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों को अक्सर राजनीतिक संरक्षण मिलता है, तथा

न्यायिक प्रक्रिया में अत्यधिक देरी के कारण दोषियों को त्वरित सजा नहीं मिल पाती।

24. 'दलबदल की राजनीति' (Politics of Defection) क्या है?

उत्तर:

'दलबदल की राजनीति' का अर्थ है किसी जनप्रतिनिधि (विधायक या सांसद) का उस राजनीतिक दल को छोड़ देना जिसके टिकट पर वह चुनाव जीता था, और किसी अन्य दल में शामिल हो जाना, या अपनी पार्टी के निर्देशों (Whipps) का उल्लंघन करके वोट देना।

भारतीय राजनीति में यह प्रवृत्ति 1967 के चुनावों के बाद व्यापक रूप से उभरी, जब सरकारों को गिराने और बनाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त (Horse Trading) शुरू हुई। इसी दौर में "आया राम, गया राम" का जुमला प्रसिद्ध हुआ। दलबदल का मुख्य कारण मंत्री पद का लालच, आर्थिक लाभ या व्यक्तिगत सत्ता की भूख होता है। इसने भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की, जनादेश का अपमान किया और नैतिक मूल्यों का पतन किया, जिसे रोकने के लिए 1985 में कानून बनाना पड़ा।

25. 52वें संविधान संशोधन अधिनियम (दलबदल विरोधी कानून) का मुख्य उद्देश्य क्या था?

उत्तर:

1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित 52वें संविधान संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति से 'दलबदल' (Defection) की बुराई को समाप्त करना और राजनीतिक स्थिरता लाना था। इस संशोधन द्वारा संविधान में '10वीं अनुसूची' जोड़ी गई।

मुख्य प्रावधान व उद्देश्य:

इसके तहत यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ता है या पार्टी के ह्विप (Whip) के खिलाफ जाकर

सदन में मतदान करता है, तो सदन का अध्यक्ष/सभापति उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य विधायकों और सांसदों द्वारा पद या धन के लालच में दल बदलने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना, जनादेश का सम्मान करना और चुनी हुई सरकारों को स्थायित्व प्रदान करना था। (बाद में 91वें संशोधन, 2003 द्वारा इसमें और कड़े बदलाव किए गए)।

26. राष्ट्रपति शासन (President's Rule - अनुच्छेद 356) का क्या अर्थ है?

उत्तर:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट से या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती (संवैधानिक तंत्र की विफलता), तो राष्ट्रपति उस राज्य में 'राष्ट्रपति शासन' की घोषणा कर सकते हैं।

इसे ही राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसके लागू होने पर राज्य की विधानसभा या तो भंग कर दी जाती है या निलंबित कर दी जाती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति (राज्यपाल के माध्यम से) के हाथ में चली जाती है और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। इसका मूल उद्देश्य राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखना है, हालाँकि इसका व्यावहारिक प्रयोग अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है।

27. अनुच्छेद 356 का राजनीतिक दुरुपयोग किस प्रकार होता है? संक्षेप में समझाइए।

उत्तर:

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने उम्मीद जताई थी कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल 'मृत पत्र' (Dead Letter) के रूप में अत्यंत दुर्लभ

परिस्थितियों में होगा, लेकिन व्यावहारिक राजनीति में केंद्र सरकार द्वारा इसका सर्वाधिक दुरुपयोग किया गया।

केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अक्सर राज्यों में विपक्षी दलों द्वारा संचालित सरकारों को असंवैधानिक रूप से बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल के पद का राजनीतिक औजार के रूप में उपयोग किया। 1977 (जनता पार्टी सरकार) और 1980 (कांग्रेस सरकार) में केंद्र सरकारों द्वारा एक साथ कई राज्यों की विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करना इसके चरम उदाहरण हैं। इस दुरुपयोग पर लगाम लगाने में एस.आर. बोम्मई मामला (1994) मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है और बहुमत का परीक्षण केवल विधानसभा के पटल पर ही होगा।

28. 'एक-दल प्रभुत्व प्रणाली' (One-Party Dominance System) से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

'एक-दल प्रभुत्व प्रणाली' एक ऐसी स्थिति है जहाँ देश में लोकतांत्रिक चुनाव तो होते हैं और कई राजनीतिक दल भी अस्तित्व में होते हैं, लेकिन लगातार लंबे समय तक केवल एक ही राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है और वही सत्ता में बना रहता है।

स्वतंत्रता के बाद भारत में 1952 से 1967 तक का काल (प्रथम तीन आम चुनाव) एक-दल प्रभुत्व प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, जब केंद्र और लगभग सभी राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक छत्र राज था। राजनीतिशास्त्री रजनी कोठारी ने भारतीय संदर्भ में इस दौर को "कांग्रेस प्रणाली" (Congress System) का नाम दिया। यह एक-दलीय तानाशाही (जैसे चीन) से भिन्न है, क्योंकि भारत में अन्य दलों को चुनाव लड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, लेकिन

कांग्रेस के ऐतिहासिक जनाधार और करिश्माई नेतृत्व के आगे वे कमजोर थे।

29. भारत में नृजातीयता (Ethnicity) से जुड़ी मुख्य समस्या क्या है?

उत्तर:

नृजातीयता (Ethnicity) से तात्पर्य किसी समूह की साझा सांस्कृतिक, भाषाई, नस्लीय या जनजातीय पहचान से है। भारत में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों (जैसे मणिपुर, नागालैंड, असम) और कुछ जनजातीय क्षेत्रों में निर्जातीयता एक गंभीर राजनीतिक और सुरक्षात्मक समस्या रही है।

मुख्य समस्याएं:

1. पृथक्तावाद और हिंसा: कई निर्जातीय समूह (जैसे नागा, मीज़ो, कुकी, मैतेई) स्वयं को मुख्यधारा के भारत से अलग मानते हैं और अपनी विशिष्ट पहचान व भूमि के संरक्षण के लिए हिंसक या सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाते हैं।

2. अंतर-समूह संघर्ष (Inter-ethnic Conflicts): संसाधनों, भूमि और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए दो निर्जातीय समूहों के बीच हिंसक झड़पें होती हैं।

3. स्वायत्तता की मांग: अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए पृथक राज्य या स्वायत्त परिषदों की मांग करना, जो कई बार राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में बाधा बनता है।

30. स्थानीय स्वशासन (Local Self-Government) के दो प्रमुख लाभ लिखिए।

उत्तर:

स्थानीय स्वशासन (पंचायतों और नगरपालिकाओं) के दो सबसे प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

1. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जन-भागीदारी: यह व्यवस्था सत्ता को आम नागरिकों के निकट लाती है। नागरिक अपनी स्थानीय समस्याओं (जैसे पानी, सड़क, सफाई, प्राथमिक शिक्षा) के समाधान के लिए सीधे निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इससे नागरिकों में लोकतांत्रिक चेतना और जिम्मेदारी का विकास होता है।

2. निचले स्तर पर नेतृत्व का विकास एवं सामाजिक समावेश: स्थानीय स्वशासन नए और युवा नेताओं को उभरने का अवसर देता है। इसके माध्यम से, विशेष रूप से महिलाओं (33%-50% आरक्षण) और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता संचालन का वास्तविक अवसर मिला है, जिससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिला है।

यहाँ "Political Process in India" पाठ्यक्रम पर आधारित सभी 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों (Long Answer Questions) के तथ्यपरक, विश्लेषणात्मक एवं परीक्षा-उपयोगी (Exam-Oriented) आदर्श उत्तर दिए गए हैं।

प्रत्येक उत्तर को भूमिका, मुख्य बिंदु (बिंदुवार विश्लेषण), संवैधानिक प्रावधान/विचारक तथा निष्कर्ष के रूप में तैयार किया गया है:

20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न 1. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया और इसके विकास का विस्तृत परीक्षण कीजिए।

उत्तर:

1. भूमिका (Introduction):

1947 में स्वतंत्रता के पश्चात भारत में लोकतंत्र की स्थापना एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम था। जहाँ अधिकांश उत्तर-औपनिवेशिक (Post-colonial) राष्ट्रों में लोकतंत्र असफल

होकर तानाशाही में बदल गया, वहीं भारत ने सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक अपनाया और विकसित किया।

2. लोकतांत्रिकरण के प्रमुख चरण और विकास:

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग (1950-52): संविधान लागू होने के साथ ही भारत ने बिना किसी लिंग, जाति या संपत्ति के भेदभाव के 21 वर्ष (बाद में 61वें संशोधन द्वारा 18 वर्ष) के प्रत्येक नागरिक को मताधिकार दिया। प्रथम आम चुनाव (1951-52) ने यह सिद्ध कर दिया कि निर्धन और निरक्षर जनता भी लोकतांत्रिक मूल्यों को समझ सकती है।

संस्थागत ढाँचे का निर्माण: निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324), स्वतंत्र न्यायपालिका और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) जैसी स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना की गई।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (1992): 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं तक किया गया, जिससे लोकतंत्र की जड़ें धरातल पर मजबूत हुईं।

राजनीतिक सहभागिता में विस्तार (Silent Revolution): 1990 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में पिछड़ों, दलितों और महिलाओं की भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसे योगेंद्र यादव और जाफ़रलॉट जैसे विचारकों ने "लोकतंत्र की दूसरी लहर" कहा।

3. चुनौतियाँ:

लोकतांत्रिकरण की इस यात्रा में धनबल, बाहुबल, वंशवाद, राजनीति का अपराधीकरण और सांप्रदायिकता जैसी बाधाएँ भी उत्पन्न हुईं।

4. निष्कर्ष:

भारत में लोकतांत्रिकरण केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक बदलाव का माध्यम बनी। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है।

प्रश्न 2. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक घटकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

1. भूमिका:

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एक जटिल ढाँचे पर आधारित है जो देश की विविधता और ऐतिहासिक परिस्थितियों से निर्मित हुई है। राजनीति को आकार देने में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों का गहरा प्रभाव रहा है।

2. प्रमुख घटक:

सामाजिक घटक (Social Factors):

जाति (Caste): जाति भारतीय समाज की प्राथमिक पहचान रही है। यह उम्मीदवारों के चयन, मतदान व्यवहार और नीति-निर्माण को गहराई से प्रभावित करती है (उदा. मंडल राजनीति)।

धर्म (Religion): भारत की धार्मिक विविधता जहाँ एक ओर सांस्कृतिक समृद्धि देती है, वहीं दूसरी ओर 'सांप्रदायिकता' और धुवीकरण के रूप में राजनीति को प्रभावित करती है।

भाषा और क्षेत्र (Language & Region): भाषाई अस्मिता ने 1956 में राज्यों के पुनर्गठन को जन्म दिया और क्षेत्रीय दलों को मजबूत किया।

आर्थिक घटक (Economic Factors):

गरीबी और विषमता: समाज में आय असमानता के कारण कल्याणकारी नीतियों (जैसे MGNREGA, मुफ्त राशन) की आवश्यकता बनी रहती है, जो चुनावी प्राथमिकताओं को तय करती हैं।

1991 के आर्थिक सुधार (LPG): उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने मध्यवर्ग का विस्तार किया, जिससे उपभोक्तावादी राजनीति और बुनियादी ढाँचे के विकास की मांग बढ़ी।

राजनीतिक घटक (Political Factors):

संविधान और संस्थाएँ: विधि का शासन, मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की सक्रियता राजनीति के लिए दिशा-निर्देश तय करती है।

दलीय प्रणाली का स्वरूप: एक-दल प्रभुत्व से लेकर बहुदलीय गठबंधन और पुनः एक-दल बहुलता (2014 के बाद) का दौर।

3. निष्कर्ष:

भारतीय राजनीति इन तीनों घटकों के निरंतर अंतर्संबंध (Interplay) से संचालित होती है। सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ने अपनी अनुकूलन क्षमता (Adaptability) को साबित किया है।

प्रश्न 3. "भारत का संविधान स्वरूप से संघात्मक है परंतु आत्मा से एकात्मक।" इस कथन के संदर्भ में भारतीय अर्द्ध-संघवाद (Quasi-Federalism) की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

1. भूमिका:

प्रसिद्ध संविधानवेत्ता के.सी. व्हीयर (K.C. Wheare) ने भारतीय व्यवस्था को 'अर्द्ध-संघीय' (Quasi-Federal) कहा था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में इसे "राज्यों का संघ" (Union of States) कहा गया है, न कि 'संघीय राज्य'।

...

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था

|

संघीय लक्षण (Federal)	एकात्मक लक्षण (Unitary)
• लिखित व सर्वोच्च संविधान सूची/अवशिष्ट) • शक्तियों का स्पष्ट विभाजन (राष्ट्रपति शासन) • स्वतंत्र न्यायपालिका • द्वि-सदनीय विधायिका व ऑल इंडिया सर्विसेज	• मजबूत केंद्र (समवर्ती • अनुच्छेद 356 • राज्यपाल का पद • एकीकृत न्यायपालिका

...

2. संघात्मक लक्षण (Federal Features):

शक्तियों का विभाजन: सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र व राज्यों के अधिकार क्षेत्र बांटे गए हैं।

संविधान की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्र न्यायपालिका: केंद्र-राज्य विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च प्राधिकारी है।

3. एकात्मक/केन्द्राभिमुख लक्षण (Unitary Features):

सशक्त केंद्र: अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) केंद्र के पास हैं। आपातकाल (अनुच्छेद 352, 356, 360) के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।

राज्यपाल की भूमिका: राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होता है और राज्य विधायिका के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक सकता है।

एकीकृत ढाँचा: एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका और अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS/IPS)।

4. निष्कर्ष:

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि भारतीय संविधान को समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों रूपों में ढाला जा सकता है। इसलिए यह आवश्यकता-आधारित संघवाद (Cooperative & Competitive Federalism) का अनूठा उदाहरण है।

प्रश्न 4. भारत में दलीय प्रणाली (Party System) के बदलते स्वरूप एवं गठबंधन सरकारों की राजनीति के प्रभाव का विस्तृत मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर:

1. भूमिका:

भारत में बहुदलीय प्रणाली (Multi-party system) विद्यमान है। स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक भारतीय दलीय प्रणाली विभिन्न ऐतिहासिक और सामाजिक बदलावों से होकर गुजरी है।

2. दलीय प्रणाली के विकास के चरण:

पहला चरण (1952-1967): 'एक-दल प्रभुत्व का काल' जिसे राजनी कोठारी ने 'कांग्रेस सिस्टम' कहा।

दूसरा चरण (1967-1989): राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों का उदय और दलबदल की राजनीति की शुरुआत।

तीसरा चरण (1989-2014): 'गठबंधन राजनीति का स्वर्ण काल'। केंद्र में बहुदलीय गठबंधन (NDA और UPA) का दौर।

चौथा चरण (2014-वर्तमान): भाजपा के नेतृत्व में 'एक-दल बहुलता प्रणाली' (One-Party Dominant System) की वापसी, जिसमें गठबंधन तो है लेकिन एक प्रमुख दल का स्पष्ट बहुमत है।

3. गठबंधन सरकारों का प्रभाव:

सकारात्मक प्रभाव:

समावेशिता: क्षेत्रीय आकांक्षाओं और छोटे दलों को राष्ट्रीय नीति-निर्माण में स्थान मिला।

निरंकुशता पर रोक: केंद्र सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती थी; आम सहमति (Consensus) पर बल बढ़ा।

नकारात्मक प्रभाव:

राजनीतिक अस्थिरता: 1990 के दशक में बार-बार चुनाव और सरकारें गिरना।

नीतिगत अपंगता (Policy Paralysis): छोटे सहयोगी दलों द्वारा सरकार को ब्लैकमेल करना और बड़े सुधारों को रोकना।

4. निष्कर्ष:

गठबंधन की राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक विविध और सामाजिक रूप से प्रतिनिधि बनाया है, हालांकि इसके लिए सुदृढ़ राजनीतिक परिपक्वता की आवश्यकता बनी रहती है।

प्रश्न 5. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के संदर्भ में भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रभाव एवं उपलब्धियों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

1. भूमिका:

1992 के 73वें (ग्रामीण) और 74वें (शहरी) संविधान संशोधन अधिनियम भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम थे। इन्होंने पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

2. मुख्य संवैधानिक प्रावधान:

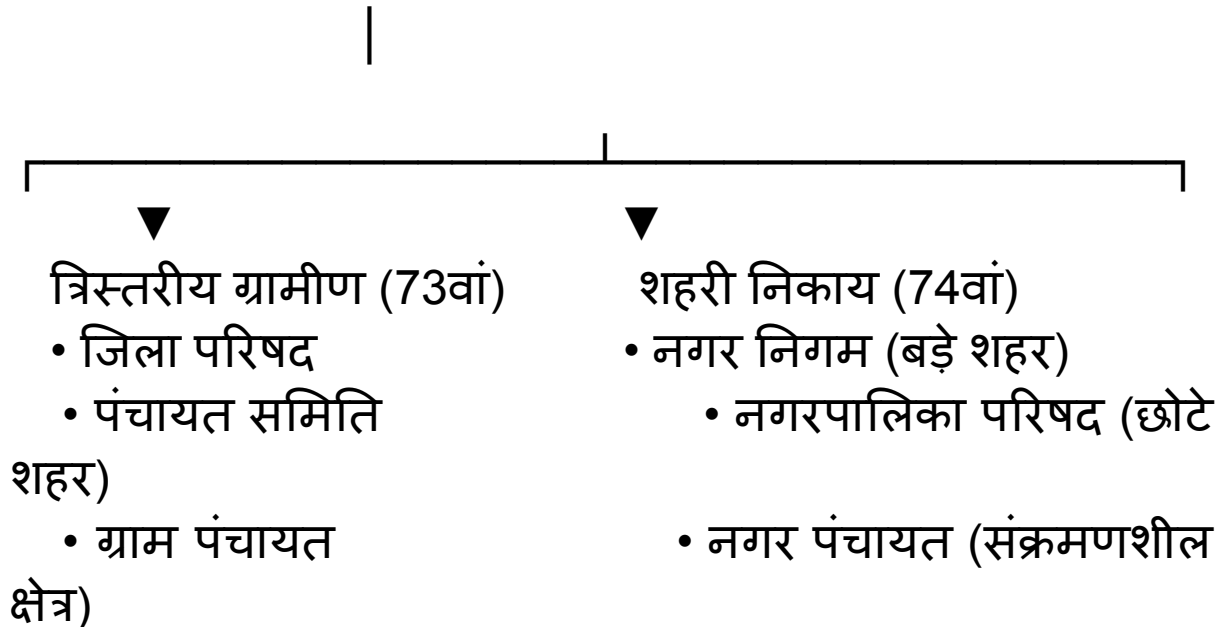
73वां संशोधन: संविधान में भाग-9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई (29 कार्य/विषय)।

74वां संशोधन: संविधान में भाग-9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई (18 कार्य/विषय)।

प्रमुख बिंदु: त्रिस्तरीय ढाँचा, 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल, राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग का गठन, तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण।

...

स्थानीय स्वशासन ढाँचा



...

3. उपलब्धियाँ और प्रभाव:

व्यापक जन-भागीदारी: भारत में लगभग 32 लाख से अधिक निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास है।

महिला सशक्तीकरण: 14 लाख से अधिक महिलाएँ पंचायतों में चुनकर आई हैं। कई राज्यों ने आरक्षण सीमा बढ़ाकर 50% कर दी है (उदा. बिहार, म.प्र.)।

हाशिये के वर्गों का प्रतिनिधित्व: SC/ST को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलने से सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुआ।

4. विद्यमान चुनौतियाँ (3 'Fs' की समस्या):

Funds (धन): वित्तीय स्वायत्तता की कमी और कर वसूलने की सीमित शक्तियाँ।

Functions (कार्य): राज्यों द्वारा 29/18 कार्यों का पूरी तरह हस्तांतरण न करना।

Functionaries (कर्मचारी): कुशल प्रशासनिक अमले का अभाव। 'सरपंच पति' की अवधारणा।

5. निष्कर्ष:

कमियों के बावजूद, इन संशोधनों ने आम जनता को शासन का भागीदार बनाया है और भारत की लोकतांत्रिक नींव को गहरा किया है।

प्रश्न 6. भारत में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय स्वशासन की संरचना, कार्यप्रणाली और उनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर एक निबंध लिखिए।

उत्तर:

1. भूमिका:

स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है जहाँ स्थानीय मामलों का प्रबंधन स्थानीय नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है।

2. त्रिस्तरीय संरचना एवं कार्यप्रणाली:

ग्रामीण स्वशासन (पंचायती राज):

1. ग्राम स्तर: ग्राम सभा (मूल संस्था) एवं ग्राम पंचायत।
2. मध्यवर्ती स्तर: पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर)।
3. शीर्ष स्तर: जिला परिषद।

कार्य: पेयजल, ग्रामीण सड़कें, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, कृषि विकास और स्थानीय विकास योजनाओं का क्रियान्वयन।

शहरी स्वशासन:

1. नगर पंचायत: ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए।
2. नगर पालिका परिषद: छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए।

3. नगर निगम: बड़े महानगरों के लिए (महापौर/मेयर इसका राजनीतिक प्रमुख होता है)।

कार्य: नगर नियोजन, जलापूर्ति, कचरा प्रबंधन, झुग्गी झोपड़ी सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य।

3. प्रमुख चुनौतियाँ:

नौकरशाही का हस्तक्षेप: बीडीओ (BDO) और नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) जैसे नौकरशाह निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर हावी रहते हैं।

आर्थिक निर्भरता: स्थानीय निकाय अपने राजस्व के लिए राज्य सरकारों के अनुदान पर अत्यधिक निर्भर हैं।

जातिगत एवं सामाजिक बाधाएँ: ग्रामीण क्षेत्रों में वर्चस्वशाली जातियों का दबाव आज भी बना हुआ है।

4. सुधार के उपाय:

राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को कड़ाई से लागू करना, स्थानीय निकायों को कर लगाने के अधिकार देना, और डिजिटल तकनीक का उपयोग करके पारदर्शिता बढ़ाना।

प्रश्न 7. भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका और उनकी कार्यप्रणाली (Modus Operandi) का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

1. भूमिका:

दबाव समूह (Pressure Groups) ऐसे संगठित हित-समूह हैं जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ते और न ही सत्ता संभालते हैं, लेकिन सरकार की नीतियों और निर्णयों को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए 'दबाव' डालते हैं।

2. भारत में दबाव समूहों के प्रमुख प्रकार:

व्यावसायिक समूह: FICCI, ASSOCHAM, CII।

किसान संगठन: भारतीय किसान यूनियन (BKU), अखिल भारतीय किसान सभा।

श्रमिक संघ (Trade Unions): AITUC, INTUC, BMS।

छात्र एवं जातिगत संगठन: ABVP, NSUI, करणी सेना, जाट महासभा।

3. कार्यप्रणाली (Modus Operandi):

लॉबिंग (Lobbying): नीति-निर्माताओं और सांसदों से संपर्क करके अपने पक्ष में राय बनाना।

प्रदर्शन और हड़ताल: विरोध प्रदर्शन, धरना, चक्का जाम और हड़ताल के माध्यम से सरकार पर सार्वजनिक दबाव बनाना (उदा. 2020-21 का किसान आंदोलन)।

न्यायालय का सहारा: जनहित याचिकाओं (PIL) के माध्यम से अपनी मांगों को कानूनी संरक्षण दिलाना।

मीडिया और प्रचार: सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से जनमत तैयार करना।

4. मूल्यांकन:

सकारात्मक भूमिका: ये विधायिका को विशेषज्ञों की राय देते हैं और सरकार को जनता की अनसुनी मांगों से अवगत कराते हैं।

नकारात्मक भूमिका: शक्तिशाली धनवान समूहों (उदा. कॉर्पोरेट लॉबी) के पास अधिक संसाधन होने के कारण वे जनहित के विरुद्ध नीतियां बनवा लेते हैं।

5. निष्कर्ष:

दबाव समूह लोकतंत्र के 'अनौपचारिक अंग' हैं। यदि वे संवैधानिक दायरे में रहकर कार्य करें तो लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाते हैं।

प्रश्न 8. भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों की विशद व्याख्या कीजिए।

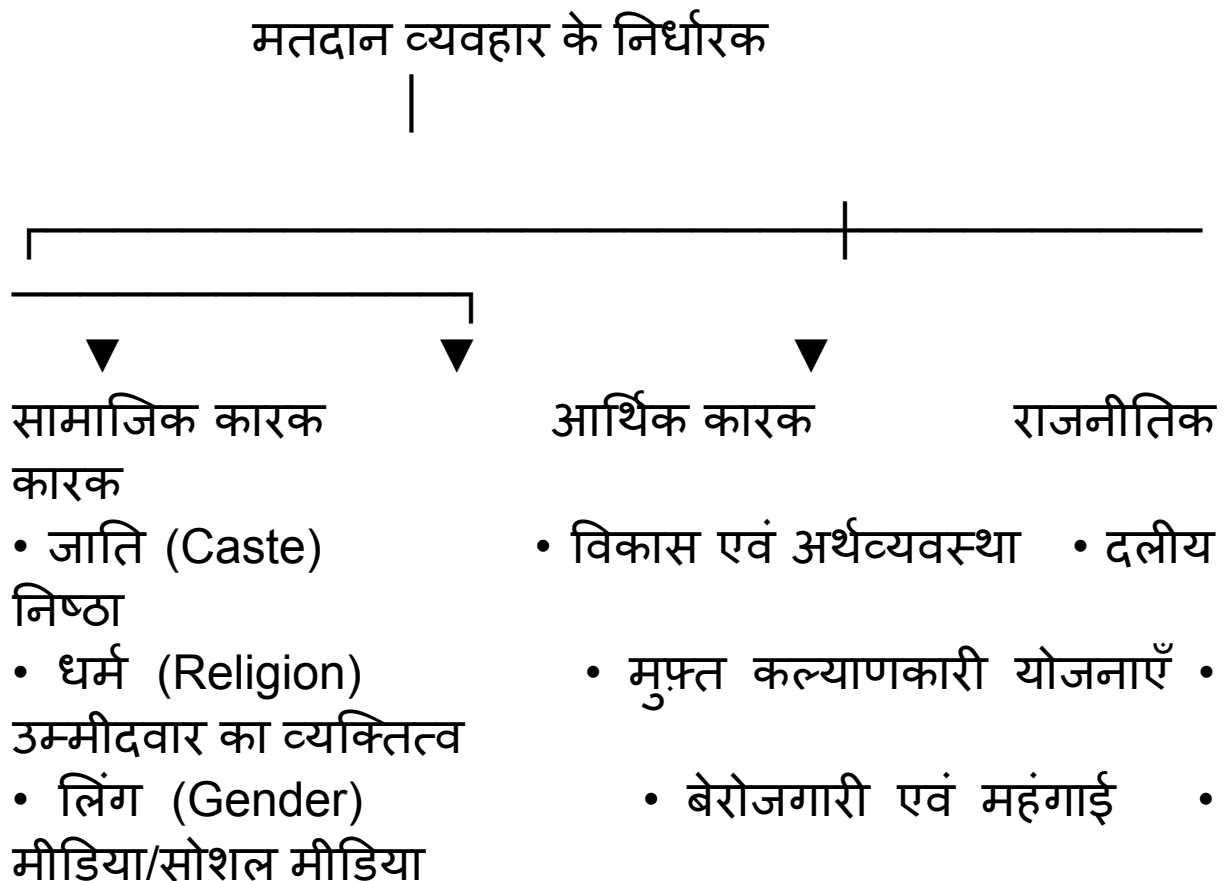
उत्तर:

1. भूमिका:

'मतदान व्यवहार' (Voting Behavior) से तात्पर्य उस व्यवहारिक प्रक्रिया से है जिसके तहत मतदाता यह तय करता है कि चुनाव में किस उम्मीदवार या दल को अपना वोट देना है।

2. निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक:

...



...

सामाजिक कारक:

जाति: भारत में "वोट बैंक की राजनीति" का सबसे बड़ा आधार जाति है। उम्मीदवार का चयन और मतदान निष्ठा अक्सर जाति से तय होती है।

धर्म: धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण मतदान को व्यापक रूप से प्रभावित करता है।

लिंग (Gender): हाल के वर्षों में 'महिला मतदाता' एक स्वतंत्र वोट बैंक के रूप में उभरी हैं, जो सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान देती हैं।

आर्थिक कारक:

लाभार्थी राजनीति (Beneficiary Politics): मुफ्त राशन, आवास योजना, किसान सम्मान निधि जैसी कल्याणकारी योजनाएं मतदाताओं के निर्णय को सीधे प्रभावित कर रही हैं।

आर्थिक मुद्दे: महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय विकास।

राजनीतिक कारक:

करिश्माई नेतृत्व (Charismatic Leadership): जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक, शीर्ष नेता का व्यक्तित्व कई बार पार्टी और उम्मीदवार से बड़ा हो जाता है।

मीडिया और सोशल मीडिया: नैरेटिव गढ़ने और धारणा बनाने में डिजिटल मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है।

3. निष्कर्ष:

भारतीय मतदाता अब अधिक जागरूक हो चुका है। यद्यपि जाति और धर्म अभी भी हावी हैं, लेकिन 'विकास' और 'सुशासन' (Governance) अब मतदान व्यवहार के केंद्र में आ रहे हैं।

प्रश्न 9. "राजनीति का जातीकरण और जाति का राजनीतिकरण" — इस कथन के आलोक में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर:

1. भूमिका:

प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री राजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक "Politics in India" में स्पष्ट किया था कि "भारत में राजनीति जाति-विरोधी नहीं है, बल्कि राजनीति जाति का उपयोग करती है और जाति राजनीति का।"

2. राजनीति का जातिकरण (Castification of Politics):

इसका अर्थ है कि पारंपरिक जातिगत संरचना ने राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है:

उम्मीदवारों का चयन: राजनीतिक दल किसी निर्वाचन क्षेत्र में उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट देते हैं जिसकी आबादी वहाँ अधिक होती है।

मंत्रिमंडल का गठन: सरकारों में मंत्री पद बांटते समय सभी प्रमुख जातियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाता है।

जातिगत वोट बैंक: राजनीतिक दल विशेष जातियों को आकर्षित करने के लिए रणनीतियाँ बनाते हैं।

3. जाति का राजनीतिकरण (Politicization of Caste):

इसका अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था में आने के बाद जाति की अपनी संरचना और पहचान बदल गई है:

जातिगत गोलबंदी (Caste Coalitions): अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए कई छोटी-छोटी जातियाँ आपस में हाथ मिला लेती हैं (उदा. 'अजगर' - AJGAR या 'माय' - MY समीकरण)।

जातिगत एसोसिएशन का निर्माण: जातियों ने अब आधुनिक दबाव समूहों (जैसे जाट महासभा, करणी सेना) का रूप ले लिया है।

सामाजिक सशक्तीकरण का साधन: लोकतंत्र के माध्यम से निचली और पिछड़ी जातियों ने सत्ता में अपनी हिस्सेदारी हासिल की और अपने मान-सम्मान का दावा किया (मंडल आयोग के बाद का दौर)।

4. निष्कर्ष:

जाति जहाँ एक तरफ संकीर्णता और विभाजन को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी तरफ इसने भारत के शोषित वर्गों को राजनीतिक शक्ति प्रदान करके लोकतंत्र को सामाजिक रूप से समावेशी बनाया है।

10. भारत में चुनावी प्रक्रिया की प्रमुख खामियों पर प्रकाश डालिए तथा आवश्यक चुनाव सुधारों (Electoral Reforms) पर सुझाव दीजिए।

उत्तर:

1. भूमिका:

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आत्मा हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपनी दक्षता साबित की है, लेकिन समय के साथ चुनावी प्रक्रिया में कई गंभीर दोष आ गए हैं।

2. चुनावी प्रक्रिया की प्रमुख खामियाँ:

धनबल का अत्यधिक प्रभाव: चुनावों में काला धन, पेड न्यूज और उपहार बांटे जाते हैं, जिससे आम नागरिक चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता।

राजनीति का अपराधीकरण: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्टों के अनुसार, संसद और विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधियों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है।

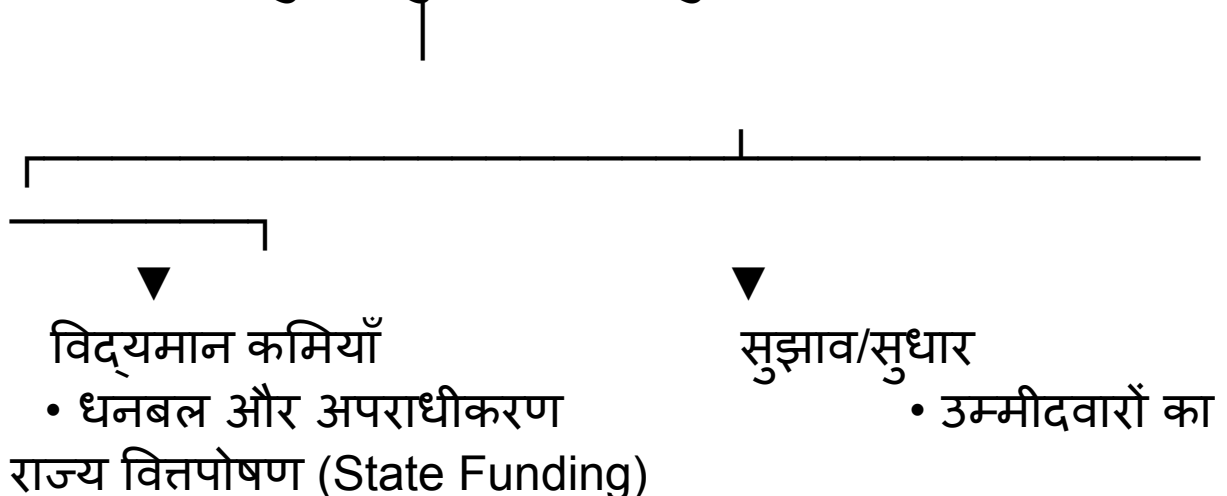
जातिगत एवं धार्मिक ध्रुवीकरण: चुनाव जीतने के लिए घृणास्पद भाषणों (Hate Speech) का प्रयोग।

FPTP प्रणाली की सीमाएँ: "फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट" प्रणाली के कारण कई बार 30-35% वोट पाने वाला दल भी भारी बहुमत से जीत जाता है, जबकि 65% जनता उसके खिलाफ होती है।

राजनीतिक फंडिंग में अपारदर्शिता।

...

चुनावी चुनौतियाँ और सुधार



- अपारदर्शी फंडिंग प्रतिबंध
- दागी नेताओं पर आजीवन
- FPTP प्रणाली की खामी
- निर्वाचन आयोग को अधिक स्वायत्तता

...

3. आवश्यक चुनाव सुधारों हेतु सुझाव:

विधि आयोग एवं दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशें:

1. दागी नेताओं पर रोक: जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हों और आरोप तय हो चुके हों, उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाए।

2. राज्य वित्तपोषण (State Funding of Elections): चुनावों में निजी धनबल को रोकने के लिए सरकार द्वारा चुनाव का खर्च वहन करने की व्यवस्था हो।

3. आंतरिक लोकतंत्र: राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक चुनाव अनिवार्य किए जाएँ।

4. ईवीएम/वीवीपीएटी की विश्वसनीयता: तकनीक को और अधिक पारदर्शी बनाना।

4. निष्कर्ष:

चुनाव सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय लोकतंत्र की साख को बनाए रखने के लिए सख्त कानूनों और राजनीतिक इच्छाशक्ति की तत्काल आवश्यकता है।

प्रश्न 11. भारत में अलगाववादी आंदोलनों के कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा राज्य द्वारा समायोजन की राजनीति (Politics of Accommodation) का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर:

1. भूमिका:

विभिन्नता से भरे भारत में 'राष्ट्र निर्माण' की यात्रा में कई बार क्षेत्रीय असंतोष ने अलगाववाद (Secessionism - भारत से अलग

होने की मांग) का रूप लिया। हालाँकि, भारतीय राज्य ने इसका समाधान दमन के बजाय 'समायोजन की राजनीति' (Politics of Accommodation) से किया।

2. अलगाववादी आंदोलनों के कारण:

अस्मिता का संकट (Identity Crisis): सांस्कृतिक या जातीय पहचान खोने का डर (उदा. पूर्वोत्तर के राज्यों में बाहरी लोगों का आगमन)।

आर्थिक उपेक्षा और पिछड़ापन: प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद विकास में पिछड़ना (उदा. असम में उल्फा आंदोलन)।

ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ: सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत में विलय को लेकर असंतोष और विदेशी ताकतों की शह (उदा. कश्मीर में आतंकवाद)।

राजनीतिक अलगाव: मुख्यधारा की राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व न मिलना।

3. राज्य द्वारा 'समायोजन की राजनीति' की रणनीति:

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ने अलगाववाद से निपटने के लिए लचीला रुख अपनाया:

संवैधानिक प्रावधान:

छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils) का गठन।

अनुच्छेद 371 के तहत कई पूर्वोत्तर राज्यों (नागालैंड, मिजोरम आदि) को विशेष अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण देना।

ऐतिहासिक शांति समझौते: उल्फा, नागा गुटों और मिजो नेशनल फ्रंट के साथ शांति वार्ता करके उन्हें मुख्यधारा की लोकतांत्रिक राजनीति में शामिल करना (उदा. 1986 का मिजोरम समझौता)।

पुनर्गठन: उग्र मांगों को शांत करने के लिए नए राज्यों का गठन करना (उदा. 1963 में नागालैंड, 1972 में मेघालय)।

4. निष्कर्ष:

भारत की 'समायोजन की नीति' यह सिद्ध करती है कि विविधताओं का दमन करने के बजाय उन्हें संवैधानिक दायरे में स्वायत्तता देने से राष्ट्र की अखंडता और मजबूत होती है।

प्रश्न 12. भारतीय संदर्भ में 'धर्मनिरपेक्षता' की अवधारणा और इससे संबंधित प्रमुख बहस (Debates on Secularism) की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

1. भूमिका:

42^{वें} संविधान संशोधन (1976) द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' (Secular) शब्द जोड़ा गया। हालाँकि, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से मौलिक रूप से भिन्न है।

2. पश्चिमी बनाम भारतीय धर्मनिरपेक्षता:

| आधार | पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता | भारतीय धर्मनिरपेक्षता |

|---|---|---|

| संबंध | राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव (Strict Wall of Separation)। | राज्य और सभी धर्मों के बीच 'सिद्धांतवादी दूरी' (Principled Distance)। |

| दृष्टिकोण | धर्म को पूरी तरह निजी मामला माना जाता है। | 'सर्वधर्म समभाव' (सभी धर्मों का समान आदर)। |

| हस्तक्षेप | राज्य धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। | सामाजिक सुधार हेतु राज्य सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है (अनुच्छेद 25-30)। |

3. धर्मनिरपेक्षता पर प्रमुख बहस (Debates):

छद्म-धर्मनिरपेक्षता (Pseudo-Secularism) बनाम वास्तविक धर्मनिरपेक्षता: आलोचकों (जैसे दक्षिणपंथी विचारकों) का तर्क है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर 'अल्पसंख्यक तुष्टिकरण' (Appeasement) किया जाता है।

समान नागरिक संहिता (UCC - अनुच्छेद 44): यह बहस बनी हुई है कि क्या सभी नागरिकों के लिए एक समान पारिवारिक कानून होना चाहिए या अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ को धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए।

सामाजिक सुधार बनाम धार्मिक स्वतंत्रता: सबरीमाला मंदिर प्रवेश या तीन तलाक जैसे मुद्दों पर यह बहस छिड़ी रहती है कि राज्य का हस्तक्षेप धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है या मौलिक अधिकारों की रक्षा।

4. निष्कर्ष:

अशोक भार्गव और राजीव भार्गव जैसे विचारकों के अनुसार, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल अत्यधिक सहिष्णु और जटिल समाज के लिए सबसे उपयुक्त ढांचा है, जो सामाजिक न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता में संतुलन बनाता है।

प्रश्न 13. भारतीय संवैधानिक ढांचे के तहत महिलाओं, जातियों और वर्गों के संबंध में लागू सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action Policies) का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

1. भूमिका:

'सकारात्मक कार्रवाई' (Affirmative Action) का उद्देश्य ऐतिहासिक सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए वंचित वर्गों को विशेष अवसर और विशेषाधिकार देना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) और 16(4) इसके मुख्य आधार हैं।

2. सकारात्मक कार्रवाई के विभिन्न आयाम:

जातियों और जनजातियों (SC/ST/OBC) के लिए:

सरकारी नौकरियों, उच्च शिक्षण संस्थानों और संसद/विधानसभाओं (अनुच्छेद 330, 332) में आरक्षण।

1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत OBC को 27% आरक्षण।

महिलाओं के लिए:

पंचायती राज में 33%-50% आरक्षण तथा संसद में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (106वां संशोधन)।

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और महिला केंद्रित आर्थिक योजनाएं।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए:

103वें संविधान संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण।

3. आलोचनात्मक विश्लेषण (सफलताएं और सीमाएं):

सफलताएं:

वंचित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार हुआ।

राजनीति और प्रशासन में शोषित जातियों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा।

सीमाएं/कमियां:

'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) की समस्या: आरक्षण का लाभ अक्सर वंचित वर्गों के केवल एक ही सशक्त समूह तक सीमित रह जाता है।

योग्यता (Merit) बनाम सामाजिक न्याय की बहस।

राजनीतिक स्वार्थ: दल इसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, न कि दीर्घकालिक सशक्तीकरण के लिए।

4. निष्कर्ष:

सकारात्मक कार्रवाई केवल आरक्षण तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सभी तक समान रूप से नहीं पहुँचते, तब तक वास्तविक समानता हासिल करना कठिन होगा।

प्रश्न 14. भारत में 'राष्ट्र निर्माण' (Nation Building) की प्रक्रिया में क्षेत्रीयतावाद, भाषावाद एवं निर्जातीयता (Ethnicity) द्वारा उत्पन्न चुनौतियों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

1. भूमिका:

1947 में भारत का विभाजन और स्वतंत्रता के साथ ही 'राष्ट्र निर्माण' की विशाल चुनौती सामने आई। अनेक भाषाओं, संस्कृतियों और जातियों को एक सूत में पिरोना एक कठिन कार्य था।

2. प्रमुख चुनौतियाँ:

क्षेत्रीयतावाद (Regionalism):

जब किसी क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखते हैं।

इसके कारण अलग राज्यों की मांग (उदा. गोरखालैंड, बोडोलैंड) तथा "भूमि के पुत्र" (Sons of the Soil) का सिद्धांत जन्म लेता है, जिससे अंतर-राज्यीय तनाव पैदा होते हैं।

भाषावाद (Linguism):

स्वतंत्रता के बाद 'राष्ट्रभाषा' के रूप में हिंदी का विरोध (विशेषकर तमिलनाडु में) राष्ट्र निर्माण के लिए बड़ी चुनौती बना।

राज्य पुनर्गठन आयोग (1956) ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करके इस संकट को हल करने का प्रयास किया।

निर्जातीयता (Ethnicity):

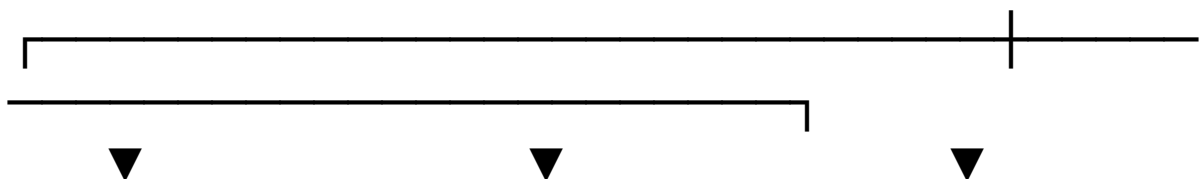
पूर्वोत्तर राज्यों (असम, नागालैंड, मणिपुर) में विभिन्न निर्जातीय समूहों की अपनी अलग सांस्कृतिक अस्मिता है।

संसाधनों पर नियंत्रण और अपनी विशिष्ट पहचान की रक्षा के लिए निर्जातीय हिंसा (उदा. मणिपुर में मैतेई-कुकी संघर्ष) राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को कमजोर करती है।

...

राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ

|



क्षेत्रीयतावाद	भाषावाद	निर्जातीयता
• अलग राज्यों की मांग	• हिंदी बनाम गैर-हिंदी विवाद	•
पूर्वोत्तर में जनजातीय संघर्ष		
• भूमि के पुत्र का सिद्धांत	• राज्य पुनर्गठन की मांग	•
अस्मिता और सीमाओं का विवाद		

...

3. समाधान के उपाय:

भारत ने इन उप-राष्ट्रीय पहचानों (Sub-national Identities) को कुचलने के बजाय "विविधता में एकता" के सिद्धांत को अपनाया। लचीला संघवाद, सांस्कृतिक स्वायत्तता और समावेशी आर्थिक विकास ही राष्ट्र निर्माण के मुख्य स्तंभ हैं।

प्रश्न 15. भारत में सांप्रदायिकता (Communalism) के बढ़ते प्रभाव के कारण एवं इसके दुष्परिणामों पर प्रकाश डालिए। बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता की बहस को समझाइए।

उत्तर:

1. भूमिका:

सांप्रदायिकता वह संकीर्ण विचारधारा है जो किसी विशेष धार्मिक समूह के हितों को दूसरे धार्मिक समूहों के विरोधी मानती है। यह भारत की धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

2. सांप्रदायिकता के बढ़ते प्रभाव के कारण:

ऐतिहासिक कारण: औपनिवेशिक काल की 'फूट डालो और शासन करो' नीति तथा 1947 का विभाजन।

राजनीतिक तुष्टिकरण और ध्रुवीकरण: चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल।

आर्थिक विषमता और बेरोजगारी: युवाओं में निराशा का लाभ उठाकर उन्हें धार्मिक कट्टरता की ओर धकेलना।

सोशल मीडिया और फेक न्यूज: अफवाहों का तेजी से फैलना जो सांप्रदायिक दंगों का कारण बनता है।

3. बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता की बहस:

बहुसंख्यक सांप्रदायिकता (Majority Communalism): यह बहुसंख्यक समुदाय (हिंदू) के चरमपंथी समूहों में देखी जाती है। यह राष्ट्रवाद की आड़ में अपनी संस्कृति को पूरे देश पर थोपने का प्रयास करती है। विपिन चंद्र के अनुसार, बहुसंख्यक सांप्रदायिकता "फासीवाद" का रूप ले सकती है।

अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता (Minority Communalism): यह अल्पसंख्यक समुदायों (विशेषकर मुस्लिम) में अपनी पहचान और सुरक्षा के भय से पैदा होती है। यह अक्सर मुख्यधारा से अलग-थलग (Ghettoization) होने या कट्टरपंथ को जन्म देती है।

दोनों एक-दूसरे को पोषित (Feed) करती हैं; एक का उभार दूसरे को और अधिक उग्र बनाता है।

4. दुष्परिणाम:

सामाजिक ताने-बाने का टूटना, जान-माल की हानि, आर्थिक विकास में बाधा, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि का खराब होना।

प्रश्न 16. भारतीय लोकतंत्र और विकास पर भ्रष्टाचार (Corruption) के प्रतिकूल प्रभावों की विस्तृत चर्चा कीजिए।

उत्तर:

1. भूमिका:

भ्रष्टाचार का अर्थ है सार्वजनिक पद और शक्ति का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 'भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक' (CPI) में भारत की स्थिति चिंताजनक रही है।

2. भारतीय लोकतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव:

लोकतांत्रिक संस्थाओं पर से विश्वास उठना: जब नागरिकों को काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, तो उनका कानून के शासन (Rule of Law) से विश्वास उठ जाता है।

क्रॉनी कैपिटलिज्म (Crony Capitalism): नेता, नौकरशाह और बड़े उद्योगपतियों की सांठगांठ नीति-निर्माण को प्रभावित करती है, जिससे केवल कुछ अमीर लोगों को फायदा होता है।

योग्यताओं की उपेक्षा: सरकारी तंत्र में पक्षपात और रिश्वतखोरी से मेधावी नागरिक वंचित रह जाते हैं।

3. आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर प्रभाव:

गरीबी और असमानता में वृद्धि: कल्याणकारी योजनाओं (उदा. राशन, स्वास्थ्य) का धन भ्रष्टाचारियों की जेब में जाने से अंतिम व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुँच पाता।

विदेशी निवेश (FDI) में कमी: जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं और रिश्वतखोरी के कारण विदेशी कंपनियां निवेश करने से कतराती हैं।

गुणवत्ताहीन बुनियादी ढाँचा: घटिया सड़कों, पुलों और भवनों का निर्माण सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बनता है।

4. सुधार हेतु उठाए गए कदम:

RTI अधिनियम (2005), लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और डिजिटल गवर्नेंस।

प्रश्न 17. दलबदल की राजनीति (Politics of Defection) क्या है? दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) के प्रावधानों और इसकी सीमाओं की समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

1. भूमिका:

1960 के दशक में भारतीय राजनीति में जनप्रतिनिधियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदलने की प्रवृत्ति बढ़ी, जिससे "आया राम, गया राम" का दौर शुरू हुआ। इसे रोकने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) जोड़ी गई।

2. दलबदल विरोधी कानून के मुख्य प्रावधान:

अयोग्यता के आधार:

1. यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ता है।

2. यदि वह अपनी पार्टी के निर्देश (Whip) के विपरीत सदन में मतदान करता है या अनुपस्थित रहता है।

3. यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।

निर्णायक प्राधिकारी: अयोग्यता का निर्णय सदन के अध्यक्ष/सभापति (Speaker) द्वारा किया जाता है।

3. कानून की सीमाएँ एवं कमियाँ:

अध्यक्ष की संदिग्ध भूमिका: अध्यक्ष अक्सर सत्तारूढ़ दल का होता है, इसलिए वह विपक्षी दल के दलबदल विधायकों पर निर्णय लेने में देरी करता है।

सामूहिक दलबदल (Splits/Mergers): 91वें संशोधन (2003) के तहत यदि किसी दल के दो-तिहाई (2/3) प्रतिनिधि एक साथ किसी अन्य दल में विलय करते हैं, तो उन पर यह कानून लागू नहीं होता। इससे 'थोक में दलबदल' (Wholesale Defection) शुरू हो गया।

सांसदों की स्वतंत्रता का हनन: पार्टी हिवेप के कारण विधायक/सांसद किसी नीति पर अपनी स्वतंत्र राय नहीं रख पाते।

4. निष्कर्ष:

विधि आयोग और दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की है कि दलबदल पर अयोग्यता का निर्णय अध्यक्ष के बजाय राज्यपाल/राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग की सलाह पर करना चाहिए।

प्रश्न 18. भारतीय संघवाद में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के प्रावधानों, इसके उपयोग और दुरुपयोग से जुड़ी राजनीति का विस्तृत विवरण दीजिए।

उत्तर:

1. भूमिका:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर केंद्र सरकार को वहाँ 'राष्ट्रपति शासन' लगाने का अधिकार देता है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है।

2. संवैधानिक प्रावधान:

यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट से या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती।

इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदित होना अनिवार्य है।

इसके तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास और विधायी शक्ति संसद के पास आ जाती है।

3. दुरुपयोग की राजनीति:

स्वतंत्रता के बाद से केंद्र सरकारों ने 100 से अधिक बार इसका प्रयोग किया।

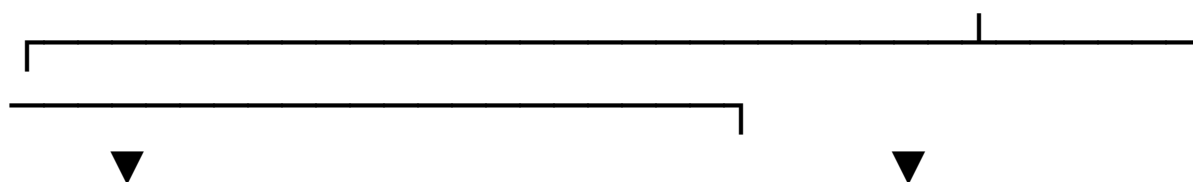
विपक्षी सरकारों को गिराना: केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने राजनीतिक कारणों से राज्यों की विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करने के लिए इसका औजार के रूप में दुरुपयोग किया (उदा. 1977 और 1980 में एक साथ कई राज्यों की सरकारें भंग करना)।

राज्यपाल की कठपुतली भूमिका: राज्यपालों ने केंद्र के इशारे पर मनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार करके अनुच्छेद 356 लागू करवाया।

...

अनुच्छेद 356 और एस. आर. बोम्मई मामला (1994)

|



दुरुपयोग के तरीके
(सुप्रीम कोर्ट)

- विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करना
न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

- बहुमत सिद्ध करने का अवसर न देना
परीक्षण केवल विधानसभा पटल पर होगा।

ऐतिहासिक निर्णय

- राष्ट्रपति शासन

- बहुमत का

...

4. एस.आर. बोम्मई मामला (1994) — एक मोड़:

सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि:

1. अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प (Last Resort) होना चाहिए।

2. राष्ट्रपति की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन है।

3. सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका फैसला केवल विधानसभा के पटल पर (Floor Test) होगा, राजभवन में नहीं।

प्रश्न 19. भारत में स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्तमान तक राजनीतिक व्यवस्था के बदलते आयामों और दिशा का एक समग्र निबंध के रूप में मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर:

1. भूमिका:

स्वतंत्रता के पिछले आठ दशकों में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दूरगामी और क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। एक पारंपरिक और नव-स्वतंत्र समाज से निकलकर भारत दुनिया की सबसे गतिशील लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है।

2. राजनीतिक व्यवस्था के बदलते प्रमुख आयाम:

दलीय प्रणाली का परिवर्तन:

1952-1967: 'एक-दल प्रभुत्व' (कांग्रेस काल)।

1989-2014: बहुदलीय गठबंधन राजनीति और क्षेत्रीय दलों का उभार।

2014-वर्तमान: भाजपा के नेतृत्व में पुनः एक-दल बहुलता का दौर।

सामाजिक आधार का विस्तार (Democratic Upsurge):

राजनीति अब केवल पश्चिमी शिक्षा प्राप्त अभिजात वर्ग (Elites) तक सीमित नहीं है। मंडल राजनीति के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), दलितों और महिलाओं की सत्ता में निर्णायक भूमिका स्थापित हुई है।

शासन का मॉडल (Governance Model):

नेहरूवादी समाजवाद (1950-1990): भारी उद्योगों और राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर बल।

उदारीकरण का दौर (1991 के बाद): बाजार-संचालित अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी योजनाओं के लिए डिजिटल तकनीक (DBT, UPI) का उपयोग और 'सुशासन' (Governance) पर केंद्रित राजनीति।

विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा: गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment) से निकलकर भारत अब 'बहु-संलग्नता' (Multi-alignment) और एक प्रमुख वैश्विक शक्ति (Global Power) बनने की ओर अग्रसर है।

3. निष्कर्ष:

भारतीय राजनीति ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत यह रही है कि इसने हर बदलाव को संविधान और लोकतंत्र के दायरे में स्वीकार किया है।

प्रश्न 20. भारतीय राज्य व्यवस्था के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियाँ (जैसे- सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, क्षेत्रीय असंतुलन) का समाधान करते हुए एक सुदृढ़ लोकतंत्र के निर्माण के उपाय बताइए।

उत्तर:

1. भूमिका:

भारतीय लोकतंत्र की सफलता निर्विवाद है, लेकिन अपनी यात्रा के इस मोड़ पर यह कई गंभीर आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। एक सशक्त और समावेशी लोकतंत्र के निर्माण के लिए इन चुनौतियों का समाधान अति-आवश्यक है।

2. प्रमुख चुनौतियाँ और उनके व्यावहारिक समाधान:

चुनौती 1: सांप्रदायिकता और सामाजिक ध्रुवीकरण

समाधान: धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को शिक्षा प्रणाली में बढ़ावा देना, घृणास्पद भाषणों (Hate Speech) के खिलाफ कठोर कानून बनाना और सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार को रोकने के लिए सख्त नियमन।

चुनौती 2: भ्रष्टाचार और राजनीति का अपराधीकरण

समाधान: चुनाव सुधार लागू करना (जैसे उम्मीदवारों का राज्य वित्तपोषण), दागी जनप्रतिनिधियों के मुकदमों का निपटारा करने के लिए त्वरित अदालतों (Fast-Track Courts) का गठन, और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में शत-प्रतिशत डिजिटल पारदर्शिता लाना।

चुनौती 3: क्षेत्रीय असंतुलन और गरीबी

समाधान: पिछड़े राज्यों (जैसे पूर्वोत्तर, बिहार, उड़ीसा) के लिए विशेष नीति आयोग योजनाएं बनाना, आधारभूत संरचना का विकास करना और नीति-निर्माण में 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) को बढ़ावा देना।

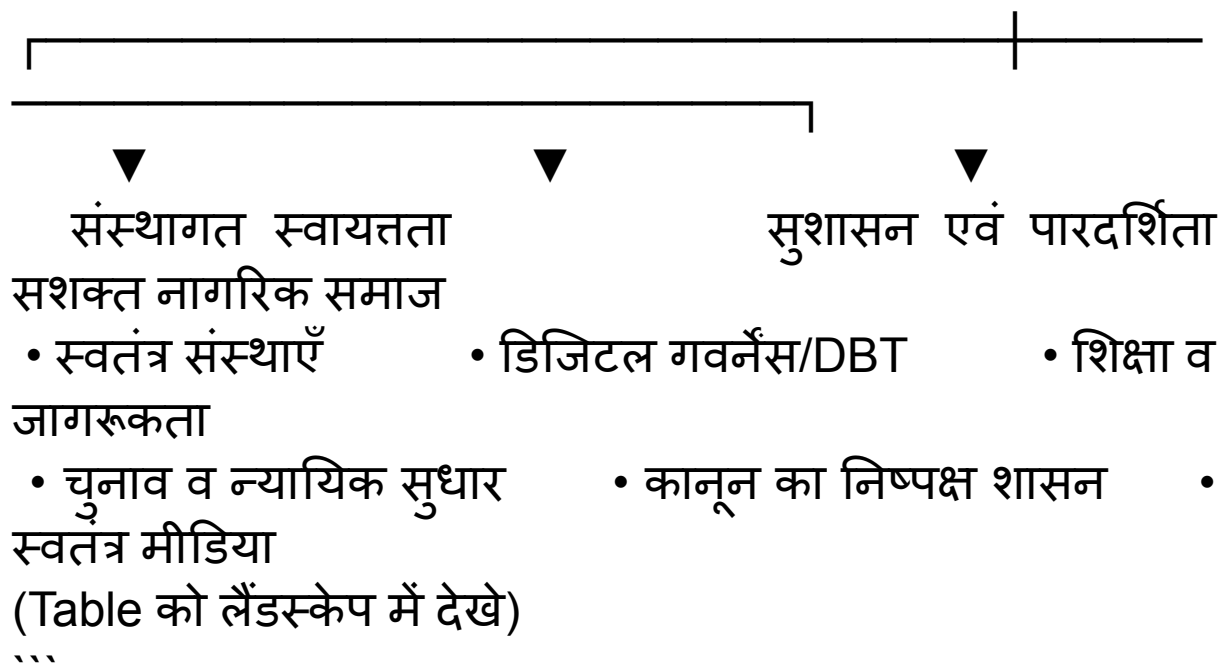
चुनौती 4: संस्थागत गिरावट (Institutional Erosion)

समाधान: निर्वाचन आयोग, सीबीआई, ईडी और न्यायपालिका जैसी स्वायत्त संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षित रखना।

...

सुदृढ़ लोकतंत्र के निर्माण के स्तंभ

|



3. निष्कर्ष:

एक सुदृढ़ लोकतंत्र केवल अच्छी सरकारों से नहीं बनता, बल्कि इसके लिए जागरूक और सजग नागरिकों (Vigilant Citizens) की आवश्यकता होती है। जब तक 'अंतिम व्यक्ति' का विकास सुनिश्चित नहीं होता, तब तक लोकतंत्र का महान लक्ष्य अधूरा रहेगा।